

Speed post/ तीव्र डाक

भारतसरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खानब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रक कार्यालय
माखपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Show-cause Notice/ कारण बताओ नोटिस पत्र**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

संख्या : RAJ/JSL-13/Lst-01/Vol-02

दिनांक : 18/11/2022

✓ प्रेषित: खान एजेंट,
सानु-1 चुनापत्थर खान,
मेसर्स राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड,
8-वेस्ट पटेल नगर,
पोस्ट: जोधपुर, जिला: जोधपुर
राजस्थान: 342001
ईमेल: sanumines@yahoo.in, iodhpur.rsmml@rajasthan.gov.in, info.rsmml@rajasthan.gov.in,

विषय: राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित आपकी सानु-1 चुनापत्थर खान, क्षेत्रफल 1000.00 हेक्टेर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 04/10/2022 by undersign in presence of Sri Mahipal Jugtawat, Mine Manager, Sri D.S. Acharya, DGM (Geology) and Sri Mayank Rao, Mining Engineer of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
45(7)	<p>On examination of electronically filed annual return for the year 2021-22, following discrepancies have been observed:</p> <p>(1) Part IV: The figure of production has been furnished 1425595.51 tons, whereas same is furnished as 3109865.00 tons under part VI.</p> <p>(2) Part VII (cost of production):</p> <p>(i) Mining cost of Rs. 137.36 per ton has been furnished, whereas the mining cost as per expenses furnished in annual return is Rs. 57.76 per tones.</p> <p>(ii) Overhead cost of Rs. 34385195.00 has been furnished under part-III, resulting overhead cost of Rs. 11.06 per ton of ROM production. However, same is furnished Rs. 24.12 per ton under cost of the production.</p> <p>(ii) Depreciation cost of Rs. 13862912.00 has been furnished under part-II A, resulting deprecation cost of Rs. 4.46 per ton of ROM production. However, same is furnished Rs. 9.72 per ton under cost of the production.</p> <p>(iii) Total Taxes of Rs. 68341821.00 has been furnished under part III, Section 5, resulting taxes cost of Rs. 21.98 per ton of ROM production. However, same is furnished Rs. 47.94 per ton under cost of the production.</p> <p>In view of above points, it shows that you have submitted incomplete or wrong or false information in annual return.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।
05. क्रेपिया ध्यान रखे कि भविष्य में इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

भवदीय
18/11/2022
(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जैसलमेर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर